रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932
No. 335] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2010

सा.का.नि. 500(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2004 जो कि प्रवर श्रेणी लिपिक, प्रवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी), अवर श्रेणी लिपिक एवं टेलीफोन ऑपरेटर और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2001 का उन बातों को छोड़कर जो की जा चुकी हैं या ऐसे अतिक्रमण से पहले समाप्त की जानी हैं, का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में प्रवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी), प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और कार्यालय सहायक (समूह "ग" पद) पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती नियमावली, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से प्रभावी होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और पे बैंड और ग्रेड पे उनसे जुड़े वेतनमान इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **तैनाती.**—प्रवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी), प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और कार्यालय सहायक (समूह "ग") के पद पर नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, भारत में किसी स्थान पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा ।

2272 GI/2010

5. अनर्हता - वह कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है जिसकी एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यह कि यदि केन्द्र सरकार इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के संबंध में लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत अनुमत है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

6. छूट देने की शक्तिः जहां केन्द्र सरकार मानती है कि ऐसा किया जाना जरूरी या अपरिहार्य है, तो वह आदेश पारित करके लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन में छूट प्रदान कर सकती है।

7. छूट देने की शक्ति: इन नियमों में कही गई कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972) के नियम 30 के अंतर्गत अनुमत सेवा के बढ़ाये हुए वर्ष का लाभ प्राप्त हुआ है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रवर श्रेणी लिपिक	628* (2010) (कार्यभार के	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	पीबी-1 5200-20,200	चयन	नहीं

	आधार पर अंतर के कारण)	अराजपत्रित लिपिक-वर्गीय	रुपए + 2400 रुपए का ग्रेड पे		

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(9)	(10)
लागू नहीं	शून्य
भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन से और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन ग्रेडों द्वारा भर्ती के मामले जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है।
(11)	(12)
पदोन्नति से 75 प्रतिशत; सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से 25 प्रतिशत	पदोन्नतिः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में अवर श्रेणी लिपिक, जिसने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो। टिप्पणीः जहां पर कनिष्ठ जिन्होंने अर्हता एवं पात्रता सेवा पूरी की है, को पदोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा रहा हो [illegible] विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता और पात्रता सेवा ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवा से आधे वर्ष से अथवा दो वर्ष से कम न हो, जो भी लागू हो, तथा जिन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी

	अर्हता अथवा पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाः अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष का स्नातक डिग्री हो।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका संघटन क्या है?	वैसी परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/पुष्टि के लिए) (क) कौंसली, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग में निदेशक - अध्यक्ष (ख) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक उप सचिव - सदस्य (ग) विदेश मंत्रालय में दो उप सचिव - सदस्य (घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी)	4* (2010) (कार्यभार के आधार पर अंतर के कारण)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, लिपिक-वर्गीय	पीबी-2 5200-20,200 रुपए + 2400 रुपए का ग्रेड पे	चयन	नहीं

(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)
लागू नहीं	शून्य

(11)	(12)
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से, विफलता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति से। **टिप्पणी:** यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी समय दस से कम रहती है तो चयन समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति पश्चात नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषयों अथवा दो में से एक में और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक डिग्री हो।

	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के अधिकारी (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी; अथवा (ii) अवर श्रेणी लिपिक अथवा समकक्ष ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा के साथ; तथा (ख) हिंदी और अंग्रेजी के अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा दोनों में से किसी एक में परीक्षा का माध्यम होने तथा अन्य के अनिवार्य अथवा वैकल्पिक

	विषय होने के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि टिप्पणी 1: फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की प्रत्यक्ष लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की समापन तिथि को छप्पन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समितिः (क) कांसुलर, पासपोर्ट तथा वीजा प्रभाग में निदेशक - अध्यक्ष (ख) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी एक उप सचिव - सदस्य (ग) विदेश मंत्रालय में दो उप सचिव - सदस्य (घ) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं

3. अवर श्रेणी लिपिक	648* (2010)(कार्यभार पर निर्भर करते हुए विविधता की शर्त पर)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' गैर-राजपत्रित, लिपिक वर्गीय	पीबी-1 5200-20200 रुपए जमा 1900 रुपए का ग्रेड पे	चयन	लागू नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(7)	(8)
18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के तदनुसार सरकारी [illegible] कर्मचारियों के लिए 40 वर्षों तक छूट)। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष अर्हता। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द हेतु 5 की डिप्रेशंस के औसत पर 35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट, 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समतुल्य हैं)।

(9)	(10)
लागू नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
(i) सीधी भर्ती द्वरा 85% (ii) 1800 रुपए के ग्रेड पे में समूह ग जो 12वीं कक्षा पास अथवा समकक्ष योग्यता रखते हैं तथा जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की है, में से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 10% रिक्तियों को भरा जाएगा। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा पैतालीस वर्ष है (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु यह आयु पचास वर्ष है)।	कालम 11 में उपलब्ध सीमा तक 1800 रुपए के ग्रेड पे के साथ समूह ग पदों से पदोन्नति अथवा सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा।

टिप्पणीः अनुच्छेद (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक यदि ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो बाद के वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे कर्मचारियों की अधिक संख्या पर विचार किया जाएगा, जिससे कि बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों से पहले विगत में परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों पर विचार किया जा सके। (iii) 1800 रुपए के ग्रेड पे के पदों में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले समूह ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-फिटनेस आधार पर 5% रिक्तियों को भरा जाएगा।	

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समितिः (क) कांसुलर, पासपोर्ट तथा वीजा प्रभाग में निदेशक - अध्यक्ष (ख) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी एक उप सचिव - सदस्य (ग) विदेश मंत्रालय में दो उप सचिव - सदस्य (घ) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कार्यालय सहायक	148* (2010) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए विविधता की शर्त पर)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' गैर-राजपत्रित, लिपिक वर्गीय	पीबी-1 5200-20200 रुपए और 1900 रुपए का ग्रेड पे	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)
18 और 27 वर्ष की आयु के बीच टिप्पणीः आयु-सीमा निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि होगी (तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, लाहौल तथा स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप हेतु निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)। रोजगार कार्यालय के जरिए की गयी भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष

(9)	(10)
लागू नहीं।	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समितिः (क) कांसुलर, पासपोर्ट तथा वीजा प्रभाग में निदेशक - अध्यक्ष (ख) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी एक उप सचिव - सदस्य (ग) विदेश मंत्रालय में दो उप सचिव - सदस्य (घ) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी अथवा उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. वी. आई वी/801/1/2010]

अ. मणिकमं, संयुक्त सचिव (सीपीवी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

2272 GI/10-2

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2010

G.S.R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk, Upper Division Clerk (Hindi), Lower Division Clerk and Telephone Operator and Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'D' Posts) Recruitment Rules 2001 – except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk (Hindi), Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Office Assistants (Group 'C' posts) in the Central Passport Organization of the Ministry of External Affairs, namely "

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/ pay scale .- The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/ pay scale attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the above said Schedule.

4. Posting.- The person appointed to the post of Upper Division Clerk (Hindi), Upper Division Clerk, Lower Division Clerk and Office Assistant (Group 'C) , as the case may be, shall be liable to serve anywhere in India.

5. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	628* (2010) (subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'C' Non—Gazetted, Ministerial	PB-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400.	Selection	No

Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

2272 GI/10-3

Educational qualification prescribed for direct recruits will also apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(9)	(10)
Not applicable	Nil
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
75 percent, by promotion; 25 percent, by Limited Departmental Competitive Examination	Promotion: Lower Division Clerks in the Central Passport Organisation with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Limited Departmental Competitive Examination: Lower Division Clerks with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing a Bachelor's degree of a recognised university or its equivalent.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion/ confirmation): (a) Director in the Consular, Passport and Visa Division - Chairman (b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organization - Member *(c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members* (d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organisation - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Upper Division Clerk (Hindi)	4* (2010) (subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	PB-2 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400	Selection	No

(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	Nil

(11)	(12)
By Limited Departmental Competitive Examination failing which by deputation. Note : In case, number of candidates are less than ten at any time, the selection will be done by the Group 'C' Departmental Promotion Committee.	Limited Departmental Competitive Examination : Lower Division Clerks of the Central Passport Organization with six years service in the grade after appointment thereto on a regular basis and possessing Bachelor's Degree of a recognised university with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject.

	Deputation : Officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with *six* years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent; and (b) possessing Bachelor's Degree of a recognised University with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. Note 3 : The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (a) Director in the Consular, Passport and Visa Division - Chairman (b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organization - Member (c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External- Members	Not applicable

(d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organization - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Lower Division Clerk	648* (2010) (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'C' Non—Gazetted, Ministerial	PB-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1900	Selection	Not applicable

(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note :- The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12^{th} Class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii)A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits.

(11)	(12)
(i) 85% by direct recruitment. (ii) 10% of the vacancies shall be filled by departmental competitive examination from amongst the Group C in the grade pay of Rs.1800 who possess 12^{th} Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five	Limited Departmental Examination or promotion from Group C posts with grade pay of Rs.1800 to the extent provided in Col.11.

years. (fifty years of age for the Scheduled Castes /Scheduled Tribes). Note : If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs.1800.	

(13)	(14)
Group 'C'- Departmental Promotion Committee (for confirmation/ promotion) : (a) Director in the Consular, Passport and Visa Division - Chairman (b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organization - Member (c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members (d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organization - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Office Assistant	148* (2010) (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'C' Non—Gazetted, Non-Ministerial	PB-1 Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800	Not applicable	Not applicable

7	8
Between 18 and 27 years of age. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation or equivalent from a recognised Board

(9)	(10)
Not applicable.	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C'- Departmental Promotion Committee) : (a) Director in the Consular, Passport and Visa Division - Chairman (b) One Deputy Secretary in charge of the administration of the Central Passport Organization - Member (c) Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs - Members (d) One Passport Officer or Deputy Passport Officer of the cadre of the Central Passport Organization - Member	Not applicable

[F. No.V. IV/801/1/2010]

A. MANICKAM, Jt. Secy. (CPV) & Chief Passport Officer

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.